बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–01/08–39/2020, परि0

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में रेलमार्ग द्वारा राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को गृह जिला पहुँचाये जाने हेतु परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक–40–03/2020–DM–1(A), दिनांक–01.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्प्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन पूर्णतः बन्द है। ऐसी स्थिति में राज्य से बाहर अन्य राज्यों से रेलमार्ग द्वारा आने वाले मजदूरों, एवं अन्य लोगों के गृह जिला भेजे जाने हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक–40–03/2020– **DM–1(A)** दिनांक–01.05.2020 आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों से रेलमार्ग से अप्रवासी मजदूरों तथा अन्य लोगों के बिहार राज्य में पहुँचने की सूचना है। अप्रवासी मजदूरों तथा अन्य लोगों को Dedicated वाहन द्वारा उनके गृह जिला पहुँचाये जाने एवं सुरक्षित परिवहन हेतु प्रोटोकॉल निम्नवत होगाः–

1. जिस स्थान/जिले में ट्रेन से अप्रवासी मजदूर तथा अन्य लोग आएँगें उक्त स्थान/जिले हेतु संबंधित जिलों के द्वारा वाहनों (बसों) को अपने जिले के लोगों को लाने हेतु भेजा जायेगा।

2. सभी जिलों के द्वारा अपने जिला के वाहन कोषांग में पर्याप्त संख्या में बस न्यूनतम तीस बस बड़े जिले हेतु की व्यवस्था रखी जायेगी तथा सूचना प्राप्त होते ही उक्त स्थान/जिले जहाँ ट्रेन का ठहराव होगा, से अप्रवासी मजदूर तथा अन्य लोगों को गृह जिला लाने हेतु वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

3. रेलवे स्टेशन से मेडिकल स्क्रीनिंग कर लोगों को सीधे गृह जिले तक पहुँचाया जाएगा। गृह जिला में लोगों को उतारने के बाद खाली बस वाहन कोषांग में रहेगी।

4. गृह जिला द्वारा लोगों को सम्बन्धित प्रखंड के quarantine केन्द्र पर वाहनों से पहुँचाया जाएगा।

5. लोगों के transport operation के क्रम में प्रत्येक स्थल यथा–वाहन कोषांग अथवा रेलवे स्टेशन में लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हैं इत्यादि सूचनाएँ संधारित की जाएगी।

6. सभी जिलों के वाहन कोषांग प्रभारी अपने जिले से चलनेवाले बसों को सेनेटाइज करते हुए स्कॉट की सहायता से रेलवे स्टेशन वाले जिले के वाहन कोषांग प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे तथा अपने जिले के अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को गृह जिले तक लाये जाने की प्रक्रिया का अनुश्रवण करेंगे।

7. रेलवे स्टेशन वाले जिलों के द्वारा अन्य जिलों से प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अपने जिले के वाहनों से भी परिचालन की व्यवस्था की जायेगी। अन्य जिलों के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों एवं स्कॉट की सूची भी संधारित की जायेगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों/प्रोटोकॉल के आलोक में ससमय कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक–40–03/2020–**DM–1(A)**, दिनांक–01.05.2020 एवं विभागीय पत्रांक–2349, दिनांक–30.04.2020 में वर्णित निदेशों का भी अक्षरशः पालन करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Liau 2/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 पटना, दिनांक– 02/05/2020

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liau 2/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 पटना, दिनांक– 02/05/2020

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liau 2/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 पटना, दिनांक– 02/05/2020

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liau 2/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 पटना, दिनांक– 02/05/2020

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Liau 2/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

2/5/2020

D/2019-20/jt/Sec